

तारीख  
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04.11.25

पत्रापत्नी पेशा/ वकीलवादी  
व स्वयंवादी अनुपस्थित/ शर-  
कार आवाज दिलाये जाने के  
बाद भी वकीलवादी व स्वयंवादी  
अनुपस्थित रहे। अतः पत्रापत्नी  
अपक्ष में हाजिरी एवं अपक्ष पक्षी  
के तहत खारिज की जाती है।  
पत्रापत्नी नम्बर से फर्म लेकर  
प्राप्त पूर्ति जमा है।

  
3/10

*[Faint, mostly illegible handwritten notes and stamps at the bottom of the page.]*